नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

सत्यमेव जयते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –62/2022 दायर दिनांक 13.04.2022 GCMS CASE NO-2022/62

कुम्भाराम पुत्र पूरणराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. सुल्तान पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी 10 एसपीडी तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
3. उप–पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़/राजियासर तहसील सूरतगढ़

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954
सहपठित धारा 14 (4) भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज. अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक : 30.12.2025

–::निर्णय::–

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 सुल्तान ने संन् 1976 यानि संवत 2033 में तहसील सूरतगढ़ की रोही सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़ की खसरा न. 226/4 में 7.590 है0 यानि 30.00 बीघा बारानी कृषि भूमि आरजी काश्त पर आवंटन करवा ली, जो संवत 2034 तक नवीनीकरण हुई। आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग होने एवं आवंटन की पात्रता ना रखने के कारण दिनांक उक्त टीसी आवंटन दिनांक 09.06.1978 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निरस्ती आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपायुक्त उपनिवेश्न राज. नहर योजना सूरतगढ़ के समक्ष अपील संख्या 95/79 अनवान सुल्तान बनाम सरकार पेश की गई जिसके जैरकार रहते हुए निरस्त आवंटन को पुनः नवीनीकरण करवाते हुए पुनः रकबा आवंटन करवा लिया और दिनांक 25.9.1980 को अपील विड्रॉ कर ली। अप्रार्थी संख्या 01 ने आवंटन प्रार्थना और नवीनीकरण प्रार्थना पत्र में कहीं अपनी उम्र 16 कहीं 22 वर्ष और कही 45 वर्ष कांट छांट करते हुए अंकन की है जो गलत एवं नियम विरूद्ध है। आवंटन से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलीभगत कर जैर प्रकरण भूम अपने नाम से आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष पुख्ता आवंटन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 02.06.2007 को अपने नाम से रोही सरदारपुरा खर्था की खसरा न. 226/4 की 30.00 बीघा कृषि भूमि को संवत 2033 फिर इसमें कांट छांट करवाकर संवत 2041 अंकित करवाकर मिसल न. 226/4 द्वारा पुख्ता आवंटन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ से जरिये मिसल संख्या 511/2008 द्वारा दिनांक [illegible] 200[illegible] खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये जबकि रोही सरदारपुरा खर्था की खसरा न. 226/[illegible] 30.00 बीघा भूमि घग्घर फ्लड के डिप्रेशन क्षेत्र में स्थित है, जिसके [illegible] अपने कार्या[illegible]देश क्रमांक भू.अ./80/2556 दिनांक [illegible] संख्या 1 को सूचित किया [illegible] राज्य सरकार के आदेश प. (4)राज/84/87 दिनांक 20.07.[illegible] व जिला कलक्टर श्री[illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आदेश राज 72/250–58 दिनांक 22.12.1989 द्वारा घग्घर डिप्रेशन क्षेत्र में खातेदारी नहीं दी जावेगी। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी खातेदारी सनद का अमलदरामद रिकार्ड में करवाने बाबत तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक दिनांक 28.12.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रिकार्ड एवं मौके की जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये। जिस पर पटवारी हल्का एवं रीडर ने अंकित किया कि संवत 2050 यानि संवत 1993 से आज तक खसरा गिरदावरी में अप्रार्थी के नाम से नवीनीकरण का नोट अंकित नहीं है। जिससे भी पूर्ण साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अपने नाम से पुख्ता आवंटन करवाने के लिए मिसल न. 783/2007 निर्णय दिनांक 02.6.2007 की पत्रावली में अपने कब्जा काश्त, रकम कायम होने और संवत 2033 से 2063 तक टीसी नवीनीकरण व कब्जा की गलत रिपोर्ट करवाई है तथा इसी रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये जो गलत एवं नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से रोही सरदारपुरा खर्था की खसरा न. 226/4 में 30.00 बीघा बारानी कृषि भूमि का आवंटन एवं आवंटन का किया गया नवीनीकरण, पुख्ता आवंटन एवं तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार निरस्त किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सुथार एवं अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट ने दौरोने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 सुल्तान ने स्वयं की उम्र 19–20 वर्ष बताते हुए तहसीलदार उपनिवेशन सूरतगढ़ से जैर प्रकरण रकबा टी.सी. पर आवंटन करवाया। वर्ष–1980 के नवीनीकरण के समय यह तथ्य आवंटन अधिकारी तहसीलदार उपनिवेशन, सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 09.06.1978 को प्रार्थी नाबालिग होने का तथ्य आया तब उनके द्वारा टी.सी. आवंटन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवंटी द्वारा न्यायालय उपायुक्त राज0 नहर योजना, सूरतगढ़ के समक्ष अपील सं. 95/1979 पेश की जो दिनांक 25.09.1980 को विड्रॉ कर ली। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी को नाबालिग अवस्था में किया गया था। प्रथमतः नाबालिग व्यक्ति ने स्वयं को बालिग बताकर, तथ्यों को छुपाकर स्वयं को काश्तकार बताकर आवंटन अधिकारी को धोखे में रखकर मूल आवंटन करवाया जो धारा–11 उपनिवेशन अधिनियम के अधीन अपराध है जिसे धारा–14 उपनिवेशन अधिनियम के आधीन मूल आवंटन निरस्ती योग्य है। यह आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.1978 को निरस्त किया भी गया, जो अन्तिम रुप से दिनांक 25.09.1980 को बाध्यकारी भी हो गया। अप्रार्थी आवंटी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। वर्ष–1978 को रकबा निरस्त होने के बाद पत्रावली में इस भूमि पर नाजायज काश्त के साक्ष्य कहीं स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार, सूरतगढ़ की टी.सी. नवीनीकरण पत्रावली सम्वत् 2035 (1978–79) की पृष्ठ सं. 42 पर नवीनीकरण आदेश दिनांक 2556 दिनांक 24.05.1994 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड की है जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार ऐसे आवंटन निरस्ती योग्य है और यह भूमि राजकीय भूमि घोषित होने योग्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान–सरकार, राजस्व ग्रुप–7 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09.05.2011 व 26.06.2012 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे – नदी, नाला, तालाब, बांध, जोहड़ इत्यादि के रुप में दर्शाई है तथा जिनके **Water Flow** से उचित जलाश्यों में पानी पहुंचता है में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये को धारा–16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि स्थितिनुसार नदी, नाला, तालाब, बांध, जोहड वगै0 की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश पारित किये हुए है और समस्त जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जल संसाधन, राजस्व वन स्थानीय निकाय, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास खान एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कैचमेंट क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों का रिमोट सेंसिग, गूंगल मैप अथवा मानवीय संसाधन से सर्वे किया जाकर अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही किये जाने और भविष्य में कैचमेंट क्षेत्र में भूमि आवंटन जल संसाधन विभाग की पूर्वानुमति लिये बिना नहीं किये जाने के पारित किये [illegible] जिसके अनुसार भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवंटी का आवंटन [illegible] संबं[illegible] विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त किये किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर [illegible] पारित न्याय निर्णय प्रकाशित RBJ–1996 पेज नं. 262 अनवान् रघुनाथ [illegible] Land Revenue (allotment of land for agriculture purposes) Rule 1970 [illegible] Rule 14(4) when cancellation of allotment justified का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो कि गलत एवं विधि विरूद्ध है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत् 2050 तक की नवीनीकरण पत्रावली के पृष्ठ सं. 42 पर "तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने जरिये आदेश क्रमांक/भू.आ./80/2556 दिनांक 24.05.1994 द्वारा अप्रार्थी को सूचित किया कि राज्य सरकार के आदेश–प.(4) राज/84/87/20.07.1987 एवं जिला कलैक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक राजस्व/25058 दिनांक 22.12.1989 के अनुसार घग्घर फ्लड विभाग की भूमि के पूर्व आवंटन ग्राम सरदारपुरा खर्था के खसरा नं. 226/4 का रकबा 30–00 बीघा जो सुलतान पुत्र अर्जन साकिन 10 एसपीडी पुनः अवलोकन करते हुए निम्न शर्तों पर सम्वत् 2042 से 2050 तक के लिये खसरा सं. 26/204 की 30–00 बीघा भूमि का नवीनीकरण स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी को इस भूमि पर कभी खातेदारी या अन्य प्रकार के अधिकार नहीं दिये जावेंगे। घग्घर फ्लड के डिप्रेशनों में पानी भरने पर फसल नष्ट होने या रकबा पर काश्त ना होने के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा। मालगुजारी मय मालकाना हर सूरत में जमा करवाना होगा।" इस शर्त पर हुआ नवीनीकरण 2050 तक है। अप्रार्थी ने सम्वत् 2050 के बाद लगान भरने का तथ्य गलत दर्ज कर पुख्ता आवंटन करवाया और यह उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने यानि डी–कॉलोनी होने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से खातेदारी प्राप्त की है, यह केवल मात्र पेपर अलॉटी है। इसके आवंटन और खातेदारी अधिकार का अंकन आज तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व गिरदावरी में कब्जा ना होने के कारण नहीं किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा पारित निर्णय प्रकाशित RBJ-2006 पेज सं. 430 अनवान् गीता बनाम् राज0 सरकार Raj. Land Revenue (Allotment of Land for Agriculture purposes) Rule 1970 – Rule-14(4) – When regularisation of land obtained through fraud and misrepresentation – Allotment rightly cancelled. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ–2023 Pt-II (Rev.) Page 925, RBJ–2019 Page 144, RBJ–2021 Page 517, RBJ-2006 Page 430] RBJ-2000 पृष्ठ सं. 547 की ओर ध्यान दिलाया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि यह कि जैर अपील भूमि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को सन 1976 यानि सम्वत 2036 में टीसी आवंटन हुई। टीसी आवंटन से लेकर आज दिनांक तक मुझ अप्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा टीसी भी लगातार नवीनीकरण होती रही है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 02.06.2007 को टी.सी. पुख्ता आवंटन की गई। पुख्ता आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 बालिक था, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत टी.सी. पुख्ता पत्रावली से साबित है। आवंटन के समय मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाबालिग होने के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पडा जिस कारण संवत 2036 के नवीनीकरण हेतु दिनांक 09.06.1978 को टी.सी. नवीनीकरण ना करते हुए दिनांक 09.06.1978 को आदेश दिया कैम्प ठैठार में रकबा का पुनः नवीनीकरण करते हुए कैम्प अधिकारी द्वारा रकबा आवंटन कर दिया गया। आवंटन होने के मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम टी.सी. का नवीनीकरण होता रहा उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2007 को टी.सी. से पुख्ता आंवटन करने के आदेश प्रदान किये गये। जैर प्रकरण रकबा डी कॉलोनी होने के बाद श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2008 को पूॅण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये है। खातेदारी अधिकार जारी होने के उपरान्त माननीय न्यायालय को 11–14 में सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी नही है। न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1995 पेज 780 में अंकित है कि रकबा खातेदारी होने के उपरान्त शिकायत के माध्यम से खारिज नही किया जा सकता। राविरा अंक 125 र्निणय दिनांक 09.11. 2020 में माना है कि टी.सी. खातेदारी जारी के होने के बाद रकबा खारिज नही किया जा सकता। जैर प्रकरण रकबा मुझ अर्प्राथी नं. 01 को लगभग 49 वर्ष अस्थायी काश्त पर आवंटन हुआ है उक्त आवंटन लगभग 49 वर्ष पूर्व का है। जबकि न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2016 द्वितीय पेज 418 में उच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ॲलोटी 30 वर्षो से रकबा काश्त कर रहा है तो रकबा खारिज नही किया जा सकता। आर.आर.टी. 2009 प्रथम पेज 380 में उच्च न्यायालय राजस्थान ने माना है कि आवंटन के 15 वर्ष पश्चात रेफरेन्स करके भी भूमि निरस्त नही करवायी जा सकती। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 610 आर.आर.टी. 2003 पेज 237. आर.आर.टी. 2016 पेज 82, आर.बी.जे 2011 पेज 353, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1065, आर.आर.टी. 2001. पेज 29 में भी [illegible] पुराने आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता। लगातार टीसी नवीनीकरण [illegible] बाद ही कमेटी में टी.सी. से पुख्ता आवंटन किया जाता है। टी.सी. से [illegible] का पटवारी व तहसीलदार की पूण जांच पड़ताल एंव कमेटी [illegible] में सरे इज[illegible] पुख्ता आवंटन किया जाता है जिसमें मिली भगती का प्रश्न ही पैदा नही होता। मुझ अप्रार्थी [illegible] 01 द्वारा कोई तथ्य नही छुपाया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन होने से निरस्त करमाया [illegible]वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि टीसी आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि बरवक्त टीसी आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग था। प्रार्थी का द्वितीय कथन है कि जैर प्रकरण रकबा घग्घर बहाव क्षेत्र का था, इस संबंध में मूल टीसी पुख्ता आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि पटवारी हल्का सरदारपुरा खर्था ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 14 में अंकित किया है कि रकबा बहाव क्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी का तृतीय कथन है कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं है। इस संबंध में टीसी पत्रावली, पुख्ता आवंटन पत्रावली तथा खातेदारी पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा रकबा पर आवंटी का कब्जा काश्त बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का उक्त आवंटन लगभग 48 वर्ष पुराना है जिसे खारिज करना हम उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है जिसे खारिज करना हम उचित समझते हैं

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाये जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी को आवंटन मय खातेदारी अधिकारी यथावत रखे जाते है। हस्तगत प्रकरण की आदेशिका दिनांक 13.04.2022 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की जैर प्रकरण भूमि तहसील सूरतगढ़ की रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 226/4 की 30.00 बीघा भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner